

राजस्थान सरकार
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 1(2)(33)/स्था/निमअ/2017/ 92571

जयपुर, दिनांक 24/7/18


आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एकलपीठ याचिका संख्या 2584/2005 डा0 प्रेमलता पुरोहित व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2010 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय कि याचिका संख्या 959/2016 श्रीमती यशोदा देवी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या 7664/2015 श्री रतन लाल रैगर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या 7028/2017 श्री राजकुमार वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018, याचिका संख्या 15369/2009 श्रीमती रोशन देवी चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018, याचिका संख्या 4053/2012 श्रीमती तारा बाई राजपूत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2018 तथा याचिका संख्या 7692/2017 श्रीमती कमला पुरोहित बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 व अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय की पालना हेतु जारी मंत्रिमंडल की आज्ञा क्रमांक 150/2018 के अनुसरण में निम्न 57 अभिकरण के कार्मिकों को उनकी सेवा पुस्तिका में अंकित नियुक्ति तिथी से नियमित किया जाता है-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पदनाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री
1.	श्रीमती राधा डामोर, प्रचेता
2.	श्रीमती चंदा अग्रवाल, प्रचेता
3.	श्रीमती पुष्पा पालीवाल, प्रचेता
4.	श्रीमती पुष्पा लोधा, प्रचेता
5.	श्रीमती कृष्णा शर्मा, प्रचेता
6.	श्रीमती राजश्री आचार्य, प्रचेता
7.	उर्मिला जोशी, प्रचेता
8.	ललिता मोहनोत, प्रचेता
9.	मंजू भारद्वाज, प्रचेता
10.	रसीला शर्मा, प्रचेता
11.	उच्छव शर्मा, प्रचेता
12.	विजयलक्ष्मी जोशी, प्रचेता
13.	रोशन देवी चौधरी, प्रचेता
14.	सावित्री शर्मा, प्रचेता
15.	ताराबाई राजपूत, प्रचेता
16.	भारती तेलंग, प्रचेता
17.	अरुणा गुप्ता, प्रचेता
18.	कमला पुरोहित, प्रचेता
19.	रजनी शर्मा, स्टेनो
20.	राजकुमार भाटी, स्टेनो
21.	दीपक जोशी, वरिष्ठ लिपिक
22.	ओमप्रकाश गांधी, वरिष्ठ लिपिक
23.	प्रेमसिंह तंवर, कनिष्ठ लिपिक


24.	लादूसिंह शक्तावत, कनिष्ठ लिपिक
25.	अनिल कुमार, कनिष्ठ लिपिक
26.	विजयमाला, कनिष्ठ लिपिक
27.	अनिल मेहता, कनिष्ठ लिपिक
28.	राजेन्द्र नंदवाना, कनिष्ठ लिपिक
29.	नरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लिपिक
30.	महेन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक
31.	सोहन राम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
32.	प्रेम सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
33.	बसन्ती लाल राव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
34.	किरण शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
35.	भगवान सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
36.	मोहम्मद अयुब खान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
37.	सोयब अहमद कुरैशी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
38.	आनन्दी देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
39.	भंवर सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
40.	लालचन्द, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
41.	रामकुमार वैष्णव, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
42.	रतन लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
43.	माधो सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
44.	विजयकुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
45.	लालसिंह झाला, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
46.	भंवर सिंह राठौड़, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
47.	पन्नालाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
48.	यशोदा देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
49.	शान्ति देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
50.	देवी लाल भाम्बी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
51.	दीनदयाल शर्मा, वाहन चालक
52.	भंवर सिंह, वाहन चालक
53.	शंकर गिरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
54.	जगदीश प्रसाद मीना, वाहन चालक
55.	दिनेश चन्द माथुर, वाहन चालक
56.	जगदीश प्रसाद रोत, वाहन चालक
57.	हडमत सिंह, वाहन चालक

उपर्युक्त कर्मचारियों को उक्त मंत्रिमंडल ज्ञापन के बिन्दु संख्या 6 में उल्लेखित शर्तों के अध्यक्षीन उनकी नियुक्ति तिथि से नियमित कर उन्हें नियमित राज्य कर्मचारी माना जाकर राज्य कर्मचारियों की भांति वेतन-भत्ते एवं अन्य परिलाभ, पारिणामिक लाभों सहित दिये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


 (निशा मीना)
 आयुक्त
 महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ 1(2)(33)/स्था/निमअ/2017/ 92572-656 जयपुर, दिनांक 24/7/18
प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निजी सहायक, मा0 मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं समन्वयक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता।
5. जिला कलेक्टर.....।
6. शासन उप सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
8. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (मअ), महिला अधिकारिता, जयपुर।
10. श्री धर्मवीर टोलिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11. श्री पृथ्वीराज सिंह जोधा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. वित्तीय सलाहकार/लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उपनिदेशक), मअ, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
14. सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता.....।
15. वरिष्ठ विधि अधिकारी, महिला अधिकारिता, जयपुर।
16. संबंधित कर्मचारी सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री.....।
17. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता